

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
11/19/2022

रजिस्टर्ड नम्बर
2022/65

प्रवेश तिथि
27-07-2022

निर्णय दिनांक
11-07-2024

01- राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, लैण्ड होल्डर तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)

- अपीलाण्ट

बनाम

01- भंवर सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह पौत्र श्री सगर सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।

-वादी प्रत्यर्थी

02- नादान सिंह पुत्र श्री हरि सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।

03- जगदीश सिंह पुत्र श्री हरि सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।

04- संजू सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह पौत्र श्री हरि सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।

05- सतीश सिंह पुत्र श्री शैतान सिंह पौत्र श्री हरि सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।

06- रघुवीर सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह पौत्र श्री बिहारी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।

07- रतन सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह पौत्र श्री बिहारी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।

08- देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री विजय सिंह पडपौत्र श्री बिहारी सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर (राजस्थान)।

09- गजराज सिंह पुत्र श्री विजय सिंह पडपौत्र श्री बिहारी सिंह जाति राजपूत नि० ग्राम ढाढोली तह० रामगढ जिला अलवर राज०, नाबालिग बसरपरस्त श्रीमती राजकुमारी पत्नी श्री विजय सिंह जाति राजपूत नि० ग्राम ढाढोली तह० रामगढ जिला अलवर - माताखुद

- असल प्रतिवादीगण प्रत्यर्थीगण

10- राजस्थान सरकार जयें जिला कलक्टर, अलवर राजस्थान।

11- ग्राम पंचायत बहुलिकतपञ्चसमिति रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

- तरतीबी प्रत्यर्थीगण



अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ दिनांक 30.06.2020 नामान्तकरण संख्या 380 वाके ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर।

उपस्थित:-

01-श्री दीपक मीना
02-श्री शैलेन्द्र भार्गव

-राजकीय अभिभाषक
-वकील रेस्पोजेन्टान

-:निर्णय:-

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2020 बाबत नामान्तकरण संख्या 380 वाके ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर, जिसके द्वारा नामान्तकरण में वर्णित विवादित आराजी को रेस्पोजेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तकरण दर्ज कर स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्टान को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित आराजीयात

सम्वत 2020 से पूर्व के साबिक खसरा नम्बर 194 मिन रकबा 32 बीघा 15 बिस्वा व 194 मिन रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा व 189 रकबा 6 बिस्वा, जिनके सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 228 रकबा 32 बीघा 15 बिस्वा, 229 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा तथा सम्वत 2058 में हाल खसरा नम्बर 327 रकबा 8.28 हैक्टेयर, 328 रकबा 1.28 हैक्टेयर कायम हुए। जिन हाल खसरा नम्बर 327 रकबा 8.28 हैक्टेयर में से 6.44 हैक्टेयर व 328 रकबा 1.28 हैक्टेयर की बाबत प्रत्यार्थी संख्या 1 द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत इस्तकार हक मय दुरुस्ती इन्द्राज व हुकमइम्तनाई दवामी माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर राजस्थान के यहाँ बअनुवानी भंवर सिंह बनाम राजस्थान सरकार वगैरा प्रस्तुत किया गया। जिस पर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा मुकदमा संख्या 1/238/17 कायम करते हुए बाद सुनवाई उपरोक्त वाद को वादी के हक में अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 द्वारा डिक्री कर दिया गया। जिस निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर राजस्थान के आधार पर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भू अभिलेख, रामगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजीयात हाल खसरा नम्बर 327 रकबा 8.28 हैक्टेयर में से 6.44 हैक्टेयर व 328 रकबा 1.28 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान की बाबत नामान्तकरण संख्या 380 खिलाफ कानून, रिकार्ड व मौका प्रत्यार्थी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत फरमा दिया गया, जबकि उपरोक्त नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 30.06.2020 राजहित प्रभावित हो रहे हैं। जिस नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 30.06.2020 से व्यथित होकर प्रस्तुतकर्ता अपील अन्य वजूहात के अतिरिक्त निम्न वजूहात के आधार पर माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है :-

ए- यह कि आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय काण्ट्रेरी टू लॉ एवं अगेनस्ट दी प्रोसीजर होने से अपास्त किए जाने योग्य है।

बी- यह कि आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 पारित फरमाते समय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना ज्यूडिशियल माईण्ड कतई एप्लाई नहीं किया गया। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है।

सी- यह कि आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 पारित फरमाते समय विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं फरमाया गया कि विवादित आराजीयात राजस्व रिकार्ड में चारागाह में दर्ज थी। जिन आराजीयात को धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत किसी भी तरह से चारागाह के इन्द्राज को कलमजन किया जाकर बंजड कदीम दर्ज नहीं किया जा सकता था। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है।

डी- यह कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ जिला अलवर राजस्थान द्वारा अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 20.07.2018 में यह आदेश पारित किया गया है कि हाल खसरा नम्बर 327 रकबा 8.28 हैक्टेयर में से 6.44 हैक्टेयर व 328 रकबा 1.28 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 7.68 हैक्टेयर वाके ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर का वादी को काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि राजस्व रिकार्ड में ताहाल तक वादी के नाम का इन्द्राज बहैसियत खातेदार के दर्ज किया जावे एवं विवादित आराजी सम्वत 2020 व उसके उपरान्त सम्वत 2058 से अग तक जो इन्द्राज सिवायचक चारागाह का किया जाता रहा है उसे कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर बंजड कदीम करते हुए पूर्व जैसा वादी के बुर्जुगान के नाम खातेदार काश्तकार के रूप में दर्ज था उसी की भांति वादी के नाम का अंकन बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। जिस आदेश की मंशा को विद्वान अधिनस्थ न्यायालय को ध्यान में रखते हुए इन्तकाल की कार्यवाही को दो माह की अवधि के लिए पैण्डिंग रखना चाहिए था, क्योंकि उपरोक्त आदेश से राजहित प्रभावित हो रहे थे। लेकिन उसके बावजूद विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 पारित फरमा दिया गया, जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है।

ई- यह कि विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 पक्षकारान के मध्य मल्टीपलसिटी आफ सूटस बढ़ाने व पक्षकारों को अधिकारों को तबालत में डालने व उनके मध्य झगडे फसाद कराने की नियत व गर्ज से पारित किया

गया है। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किए जाने योग्य है।

एफ—यह कि उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान के मूल निर्णय व डिग्री दिनांक 20.07.2018 के विरुद्ध माननीय राजस्व अपील अधिकारी, अलवर राजस्थान के यहाँ राजस्व अपील दायर की जा चुकी है, जो विचाराधीन है। जिस अपील के विचाराधीन रहने से आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय का कोई औचित्य किसी प्रकार का नहीं रहता है। जिससे आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 विद्वान अधिनस्थ न्यायालय योग्य है। अपास्त किए जाने योग्य है।

प्रस्तुतकर्ता अपील विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भू अभिलेख, रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान के आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 के विरुद्ध होने से माननीय न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से माननीय न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है। विद्वान अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भू अभिलेख, रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान द्वारा आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 को पारित किया गया है। जिस आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 के विरुद्ध अपील दायर करने की बाबत विभागीय कार्यवाही की गई, जिस पर दिनांक 18.07.2022 को राज्य सरकार की ओर से अपील करने के लिए विभागीय स्वीकृति प्राप्त होने पर दिनांक 18.07.2022 को ही आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 की प्रमाणित एवं सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 की प्रमाणित एवं सत्यापित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर प्रस्तुतकर्ता अपील बिना किसी देरी के अन्दर मियाद माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जहाँ निर्णय एवं डिकी प्रारम्भ से ही अवैध व शून्य हो, वहाँ मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है, ऐसे निर्णय को न्यायहित में कभी भी चौलेन्ज किया जा सकता है तथा ऐसे प्रकरण में मियाद की कोई सीमा/पाबन्दी नहीं होती है। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। उपरोक्त प्रकरण में राज्य सरकार के हित निहित हैं, इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए प्रस्तुतकर्ता अपील दिनांक 18.07.2022 से अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाना न्यायहित में आवश्यक है। आक्षेपित आदेश दिनांक 30.06.2020 से दिनांक 18.07.2022 व उक्त तिथि से अपील प्रस्तुत करने के दिन तक की तिथि का समय मियाद में मुजरा दिया जाकर पेशकर्ता अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जाने की बाबत अलहदा से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 व 9 कानून मियाद अधिनियम माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील आवेदन अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश बाबत नामान्तकरण संख्या 380 दिनांक 30.06.2020 अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, भू अभिलेख, बानसूर जिला अलवर राजस्थान बाबत हाल खसरा नम्बर 327 रकबा 8.28 हैक्टेयर में से 6.44 हैक्टेयर व 328 रकबा 1.28 हैक्टेयर कुल कित्ता 2 रकबा 7.68 हैक्टेयर वाकै ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ़ जिला अलवर राजस्थान को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोजेन्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि विवादित नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 20.07.2018 में किये गये आदेशों की पालना में दर्ज व स्वीकार किया गया है, जिसमें अधिनस्थ न्यायालय द्वारा किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। नामान्तकरण विधि के अनुसार माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना में दर्ज व स्वीकार किया गया है। यदि अधिनस्थ न्यायालय को उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 20.07.2018 में किसी भी प्रकार का आक्षेप होता तो अधिनस्थ न्यायालय को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जानी चाहिए थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का चिंतन-मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.06.2020 का अवलोकन किया गया जिसमें पटवारी द्वारा इंतकाल दर्ज कर रिपोर्ट की गयी है कि उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के पर्चा डिग्री उनवान भंवरसिंह बनाम सरकार निर्णय दिनांक 20.07.2018 एवं तहसीलदार रामगढ़ के आदेश क्रमांक भू0अ0/20/1816 दिनांक 24.06.2020 एवं तहसीलदार रामगढ़ के मार्गदर्शन आदेश क्रमांक एल0आर0/2020/1898 दिनांक 29.06.2020 की पालना में नामान्तकरण दर्ज कर व उचित आदेशार्थ पेश है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रामगढ़ द्वारा दिनांक 30.06.2020 को नामान्तकरण स्वीकार किया गया। चूंकि, उक्त नामान्तकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के निर्णय दिनांक 20.07.2018 के अनुसार स्वीकृत किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की

त्रुटि नहीं है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अपील अपीलान्ट खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.06.2020 नामान्तकरण संख्या 380 वाके ग्राम ढाढोली तहसील रामगढ जिला अलवर यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रिली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)